संख्या-39/2018/4074/77-6-18-25(एम)/2017

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

1. समस्त सम्बंधित अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रख्यापन के पश्चात पूर्व में प्रचलित अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतिम तिथि निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 दिनांक 13.07.2017 को एवं उक्त नीति के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली दिनांक 25.10.2017 को प्रख्यापित की जा चुकी है तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 को भी अन्तिमीकृत नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में दो नीतियों के प्रचलित रहने से नीति के क्रियान्वयन में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। अत: इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रख्यापन तिथि दिनांक 13.07.2017 से पूर्व जिन इकाईयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है, वे इकाईयां अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पात्र मानी जायेंगी तथा जिन इकाईयों द्वारा दिनांक 13.07.2017 एवं उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जायेगा वे इकाईयां अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पात्र नहीं मानी जायेगी।

भवदीय,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-39/2018/4074(1)/77-6-18-25(एम)/2017तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीडा/यू.पी.एस.आइ.डी.सी, यूपीडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लीडा, गीडा।

2-निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 मंत्री औ0वि0विभाग।

3-निजी सचिव, मुख्य सचिव सह आईआईडीसी/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव औ0वि0वि0, उ0प्र0 शासन।

4-गार्ड फाइल/औद्योगिक विकास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

बाबू राम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।